संख्या-12/2015/1161/52-2-15-2(279)/13

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 नवम्बर,2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 4,13,20,000/- (रू0 चार करोड़ तेरह लाख बीस हजार मात्र ) में से अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्ययों को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 4,13,20,000/-(रूपये चार करोड़ तेरह लाख बीस हजार मात्र) में से 50 प्रतिशत रू0 1,69,50,000/- प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि से संबंधित शासनादेश संख्या-808/52-2-2015-2(279)/2013 दिनांक 14.05.2015 के क्रम में निम्नवत तालिका के अनुसार द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 1,79,70,000/-(रू0 एक करोड उन्यासी लाख सत्तर हजार मात्र) को प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

आयोजनेत्तर- (रू0 हजार में)

| क्रमांक | मानक मद का नाम | वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि | प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 14.05.2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि | द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 01-वेतन | 9000 | 4500 | 4500 |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02-मजदूरी | 200 | 100 | 100 |
| 3 | 03-मंहगाई भत्ता | 10800 | 5400 | 5400 |
| 4 | 04-यात्रा व्यय | 200 | 100 | 100 |
| 5 | 06-अन्य भत्ते | 1300 | 650 | 6500 |
| 6 | 07-मानदेय | 1000 | 500 | 500 |
| 7 | 08-कार्यालय ब्यय | 800 | 400 | 400 |
| 8 | 09-विद्युत देय | 200 | 100 | 100 |
| 9 | 10 जल कर/जल प्रभार | 50 | 25 | 25 |
| 10 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 550 | 275 | 275 |
| 11 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 800 | 400 | 400 |
| 12 | 13-टेलीफोन पर ब्यय | 450 | 225 | 225 |
| 13 | 14-मोटर गाडियों का क्रय | 6400 | ---- | ---- |
| 14 | 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 1600 | 800 | 800 |
| 15 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | 300 | 150 | 150 |
| 16 | 17-किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व | 3600 | 1800 | 1800 |
| 17 | 18-प्रकाशन | 250 | 125 | 125 |
| 18 | 22-आथित्य व्यय/व्यय विशयक भत्ता आदि | 200 | 100 | 100 |
| 19 | 26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 200 | 100 | 100 |
| 20 | 42 अन्य व्यय | 600 | 300 | 300 |
| 21 | 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 200 | 100 | 100 |
| 22 | 45- अवकाश यात्रा व्यय | 200 | 100 | 100 |
| 23 | 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्वेयर का क्रय | 1000 | | 1000 |
| 24 | 47-कम्प्युटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 400 | 200 | 200 |
| 25 | 49- चिकित्सा व्यय | 1000 | 500 | 500 |
| 26 | 51- वर्दी व्यय | 20 | | 20 |
| योग- | | 41320 | 16950 | 17970 |

http://shasanadesh.up.nic.in

2-(1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) कृपया सुनिश्चित किया जाय कि घनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(4) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0एम0-13 पर लेखा शीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) मानक मद 14- ''मोटर गाडियों का क्रय''के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियां वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in